क्रम-संख्या–99

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 जुलाई, 2024

आषाढ़ 10, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 214 / 79-वि-1–2024-2-क-9-2024
लखनऊ, 01 जुलाई, 2024

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2024) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, प्रश्न पत्रों के समय के पूर्व प्रकटन को रोकने, सॉल्वर गिरोह को अभिनिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब,भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं: –

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में, –

(क) ''सार्वजनिक परीक्षा का संचालन'' में प्रश्नपत्र की तैयारी, कोडिंग, डीकोडिंग, मुद्रण, संग्रहण, सुरक्षित अभिरक्षा और वितरण, सार्वजनिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा और उससे संबंधित अन्य मामले सम्मिलित हैं;

(ख) ''परीक्षार्थी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे परीक्षा प्राधिकारी द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में, उसके निमित्त लेखक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(ग) सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में ''परीक्षा प्राधिकरण'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, –

(एक) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग;

(दो) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग;

(तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय;

(चार) पूर्वोक्त आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय द्वारा नियोजित या गठित कोई अभिकरण या भर्ती समिति; और

(पाँच) सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित, घोषित या नियोजित कोई अन्य प्राधिकरण, अभिकरण या भर्ती समिति;

(घ) ''परीक्षा केंद्र'' का तात्पर्य सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट परिसर से है;

(ङ) ''निरीक्षण दल'' का तात्पर्य किसी भी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने और परीक्षा प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से है;

(च) ''परीक्षा प्राधिकरण से संबद्ध व्यक्ति'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो परीक्षा प्राधिकरण के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, भले ही ऐसा व्यक्ति कर्मचारी या अभिकर्ता हो या किसी भी तरह से उससे संबद्ध हो;

(छ) ''सार्वजनिक परीक्षा'' में सम्मिलित हैं, –

(एक) परीक्षा प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा में किसी पद पर भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नति के लिए संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या किसी अन्य शैक्षणिक विशिष्टता को प्रदान करने या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता हेतु संचालित कोई अर्हकारी या प्रतियोगी परीक्षा;

(तीन) कोई अन्य परीक्षा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षा घोषित किया गया हो;

(ज) ''लोक सेवा'' का तात्पर्य निम्नलिखित के किसी कार्यालय या स्थापनों में सेवाओं से है, –

(क) राज्य सरकार;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम या उपक्रम;

(घ) उत्तर प्रदेश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसमें विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निकाय या समितियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से निधि प्राप्त करने वाली कोई समिति, या कोई शैक्षणिक संस्था, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, किंतु राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करती हो;

(झ) ''सॉल्वर गिरोह'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से एक या अधिक सार्वजनिक परीक्षाओं में, –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में स्वयं को वास्तविक परीक्षार्थी होने का दिखावा करता हो और ऐसी सार्वजनिक परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थी के रूप में उपस्थित होता हो या उपस्थित होने का प्रयास करता हो; या

(दो) सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या उसकी प्रतिलिपि को ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से पहले या उसके दौरान भौतिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करता है, –

(क) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे प्रश्नपत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना; या

(ख) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के एक या अधिक परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से अनुचित लाभ या सहायता प्रदान करना, जिसमें संचार के साधन या अन्य आधुनिक तकनीक सम्मिलित हैं; या

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी तरह से सम्मिलित होना;

(ञ) ''पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द'' में सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(ट) ''अनुचित साधन'', –

(एक) सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय परीक्षार्थी के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपिकी गई, मुद्रित या पुनः उत्पादित किसी भी सामग्री से अनधिकृत सहायता लेना, या किसी भी प्रकार के अनधिकृत टेलीफोनिक, बेतार, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या अन्य उपकरण या गैजेट का उपयोग करना; या

(ख) परीक्षार्थी के शरीर या परिधान के किसी भाग, या परीक्षा हॉल में फर्नीचर, फिक्सचर या फिटमेंट पर साशय कोई चिह्न या छाप अंतलिखित करना, जिसका उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के दौरान सहायता के रूप में किया जा सकता है;

(दो) परीक्षार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में इसमें सम्मिलित हैं, –

(क) अनधिकृत रूप से प्रश्नपत्रों का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकटन करने का प्रयास करना या प्रकटन करने का षड्यंत्र करना या प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में रखना या रखने का प्रयास करना; या

(ख) किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना या हल करने में सहायता प्रदान करना, या किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(ग) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

स्पष्टीकरण– उप–खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, शब्द ''कंप्यूटर नेटवर्क'', ''कंप्यूटर संसाधन'' और ''कंप्यूटर प्रणाली'' के वही अर्थ होंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, सन् 2000) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ञ), (ट) और (ठ) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं;

(तीन) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना;

(चार) धोखाधड़ी या मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा का संचालन, फर्जी प्रवेश पत्र या ऑफर लेटर जारी करना;

(पांच) अनुचित मौद्रिक लाभ और भौतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परीक्षा से पहले असली प्रश्नपत्र के रूप में फर्जी प्रश्नपत्र परिचालित करना।

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित का वही अर्थ होगा, जो उन विधियों में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित है।

बहिष्करण

3–(1) इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अधीन अनुशास्ति या दंड से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं:

परन्तु यह कि यदि ऐसा परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ या लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से घोषित किया जाएगा।

(2) इस अध्यादेश के उपबंध ''सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारी'' द्वारा आयोजित ''सार्वजनिक परीक्षा'' पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2024) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) और (ठ) में क्रमशः परिभाषित हैं।

अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता का प्रतिषेध

4–(1) किसी सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में या उसके संबंध में अनुचित साधनों का प्रयोग या उसमें लिप्तता प्रतिषिद्ध होगी ।

(2) परीक्षार्थी द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की जांच संबंधित परीक्षा प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से की जाएगी:

परन्तु यह कि ऐसी जांच में परीक्षार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) संबंधित परीक्षा प्राधिकारी धारा 13 की उपधारा (1) में परिकल्पित प्रतिबंधों को लगाने के लिए विहित रीति से अनुशास्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा।

प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण

5–सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अपने कर्तव्यों के आधार पर विधिपूर्वक प्राधिकृत या अनुज्ञात कोई भी व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को प्रश्न–पत्र खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व, –

(क) प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग या प्रतिलिपि को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा, उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा या हल नहीं करेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई सूचना नहीं देगा या सूचना देने का वादा नहीं करेगा, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सूचना ऐसे प्रश्न–पत्र से संबंधित है, उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

सूचना देने का प्रतिषेध

6–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य से न्यस्त किया गया है, सिवाय इसके कि उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने की अनुमति दी गई हो, अनुचित साधनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी या उसका कोई भाग, जो उसे न्यस्त कार्य के आधार पर ज्ञात हुआ हो, परीक्षार्थी को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के लिए नहीं देगा या देने का प्रयास नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिषेध

7–कोई भी व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य न्यस्त नहीं किया गया है और जो परीक्षार्थी नहीं है, सार्वजनिक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा या ऐसे केन्द्र में प्रवेश करने के पश्चात् सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने में किसी परीक्षार्थी को कोई सहायता या सहयोग प्रदान करने के लिए वहां नहीं रहेगा।

सहायता करने पर प्रतिषेध

8–निम्नलिखित को, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, निम्नलिखित में से एक या समस्त के साथ, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या उनमें लिप्तता में किसी परीक्षार्थी की सहायता करने या सहायता करने का प्रयास करने से प्रतिषेध किया जाएगा:–

(एक) परीक्षा प्राधिकरण का अधिकारी या कर्मचारी;

(दो) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए विनिर्दिष्ट या सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्यों से न्यस्त संस्थान का प्रबंधन या कर्मचारिवृन्द; और

(तीन) सॉल्वर गिरोह।

सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करने पर प्रतिषेध

9—कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से या सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत करके, निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए, सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित नहीं करेगा या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, ताकि वह विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन न कर सके या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके।

परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग सार्वजनिक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा

10—कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा या कराने का कारण नहीं बनेगा।

सॉल्वर गिरोह पर प्रतिषेध

11—धारा 9 और 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सॉल्वर गिरोह को निम्नलिखित कार्य करने से प्रतिषिद्ध किया जाएगाः—

(एक) सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे एक दिन पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना;

(दो) संबंधित सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रति को अपने पास रखना, उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयास करना, खोलना या प्रकटन करना;

(तीन) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित सार्वजनिक परीक्षा के दौरान या उससे पहले प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को हल करना या हल करने का प्रयास करना;

(चार) सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त, न्यस्त, लगे हुए या संबद्ध निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द, अधिकारी या व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा किसी सार्वजनिक परीक्षा को प्रभावित करना या प्रभावित करने का प्रयास करना, विधिपूर्ण कर्तव्य का पालन करने या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकना;

(पांच) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत, न्यस्त या किसी व्यक्ति से बल, उत्प्रेरणा या प्रलोभन द्वारा कोई सूचना प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना;

(छः) परीक्षार्थी को गलत लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उसमें संलिप्त अथवा अंतर्वलित होने का कार्य, प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना; और

(सात) परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई जानकारी देना या जानकारी देने का वादा करना, जिसके बारे में उसे यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र से संबंधित है या उससे व्युत्पन्न है या उस पर प्रभाव डालती है।

मूल्यांकन में हेर—फेर का निवारण

12—कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन या उसके मूल्यांकन के अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी अथवा हेरा—फेरी करने के प्रयत्न में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त अथवा अंतर्वलित नहीं होगा, जहां ऐसा अभिलेख किसी भी प्रकार से अनुरक्षित किया जाता है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द, ''मूल्यांकन अभिलेख'' में उत्तर पुस्तिका, सारणीयन पत्रक, अंक रजिस्टर, व्यक्तिगत अंक पत्रक, परिणाम पत्रक या उसकी प्रतिलिपि या इस निमित्त किसी भी प्रकार से अनुरक्षित कोई अन्य रजिस्टर या अभिलेख सम्मिलित है।

शास्ति

13—(1) जहां कोई परीक्षार्थी धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वहां संबंधित सार्वजनिक परीक्षा का उसका परिणाम रोक लिया जाएगा और उसे उस कैलेंडर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है, जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उसका परिणाम रोक लिया जाता हैः

परन्तु यह कि ऐसा विवर्जित आदेश उसे विवर्जित अवधि के पश्चात किसी सार्वजनिक परीक्षा या लोक सेवा में सम्मिलित होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा ।

(2) जहां धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (दो) में उल्लिखित परीक्षार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसे दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति धारा 5, 6, 7, 10 या 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह दो वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दो लाख रुपए के जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है,दंडनीय होगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति धारा 8 या 9 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह तीन वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा तीन लाख रुपए के जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(5) जहां कोई सॉल्वर गिरोह धारा 8, 9या 11 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह सात वर्ष से अन्यून कारावास से, जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा दस लाख रुपए के जुर्माने से, जो पच्चीस लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है,दंडनीय होगा ।

परन्तु यह कि यदि कोई सॉल्वर गिरोह ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो वह आजीवन कारावास के दण्ड तथा न्यूनतम पचास लाख रुपए के जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा ।

(6) जहां कोई व्यक्ति, चाहे सॉल्वर गिरोह के साथ मिलीभगत से या अन्यथा, आर्थिक या अनुचित लाभ के लिए, परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाकर या सदोष अवरोध द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में बाधा डालता है या प्रभावित करता है, तो वह आजीवन कारावास और न्यूनतम पचास लाख रुपये के जुर्माने जो एक करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा ।

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

14—जो कोई, किसी सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर, जानबूझकर किसी कार्य या कर्तव्य की उपेक्षा करेगा, जिसका पालन किया जाना उसके द्वारा अपेक्षित है और जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्न—पत्र का प्रकटन हो सकता है या सार्वजनिक परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

15—(1) जहां इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के विरुद्ध कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी, उस अपराध की दोषी समझी जाएगी और कार्यवाही किये जाने के दायी होंगे और तदनुसार दंडित किये जायेंगेः

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसा कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और कार्यवाही किये जाने का दायी होगा और उसे तदनुसार दंडित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजन के लिए, —

(क) 'कंपनी' का अर्थ है कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म, सोसायटी या व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है; और

(ख) 'निदेशक' के संबंध में,—

(एक) फर्म का अर्थ है फर्म में भागीदार;

(दो) ''सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य संघ'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे सोसायटी या अन्य संघ के नियमों के अधीन, यथास्थिति,सोसायटी या अन्य संघ के मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

संपत्ति की कुर्की और अधिहरण

16–(1) सॉल्वर गिरोह के सदस्य के रूप में अकेले या समूह में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसी कोई संपत्ति धारण नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा जो पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अपराध करके अर्जित की गयी है ।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद चल या अचल संपत्ति, उपधारा (1) में यथो उल्लिखित किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है, चाहे न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान लिया गया हो या नहीं।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) में कुर्की के लिए उपबंधित प्रक्रिया प्रत्येक ऐसी कुर्की पर लागू होगीः

परन्तु यह कि जब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) प्रवृत्त नहीं हो जाती, तब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2,सन् 1974) के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक के पास ऐसी संपत्ति के सर्वोत्तम हित में प्रशासन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता प्रदान कर सकता है।

(6) जहां कोई संपत्ति उपधारा (2) के अधीन कुर्क की जाती है, वहां उसके आवेदक ऐसी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को एक अभ्यावेदन दे सकते हैं, जहां वह परिस्थितियों और सम्पत्ति अर्जन के स्रोत प्रदर्शित कर सकेगा, जिनमें ऐसी सम्पत्ति उसके द्वारा अर्जित की गयी है ।

(7) यदि जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (6) के अधीन किए गए दावे की मौलिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है, तो वह संपत्ति को तुरंत कुर्की से निर्मुक्त कर देगा और तब ऐसी संपत्ति दावेदार को सौंप दी जाएगी।

(8) जहां उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है या संपत्ति उपधारा (7) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्मुक्त नहीं की जाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा।

(9) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने उपधारा (2) के अधीन किसी संपत्ति को कुर्क करने से इनकार कर दिया है या उपधारा (7) के अधीन किसी संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार या ऐसे इनकार या निर्मुक्ति से व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (8) के अधीन सक्षम न्यायालय को जांच के लिए आवेदन कर सकता है कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह के किसी सदस्य द्वारा अकेले या समूह में अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी, जो इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध का अभियुक्त है। न्यायालय, यदि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करने या उसे अपास्त करने के लिए आदेश पारित कर सकता है।

(10) उपधारा (8) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर या उपधारा (9) के अधीन किसी आवेदन पर, अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय जांच के लिए दिनांक नियत करेगा और उपधारा (9) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को, यथास्थिति, उपधारा (6) के अधीन अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को तथा राज्य सरकार को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका हित, मामले में अंतर्वलित प्रतीत होता है इसकी सूचना देगा ।

(11) इस प्रकार नियत दिनांक को या जहाँ जांच स्थगित की गयी हो किसी पश्चातवर्ती दिनांक को, न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्राप्त करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे, और विनिश्चिय करेगा कि क्या संपत्ति सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी तथा ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उचित और आवश्यक हो ।

(12) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत संपत्ति या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी, सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित संपत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

(13) यदि ऐसी जांच के बाद न्यायालय पाता है कि संपत्ति इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध करने के परिणामस्वरूप सॉल्वर गिरोह द्वारा अर्जित नहीं की गई थी,न्यायालय उस सम्पत्ति को उस व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह सम्पत्ति कुर्क की गयी थी।

(14) जहां अभियुक्त को इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां न्यायालय, कोई भी दण्ड पारित करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा यह घोषित करेगा कि ऐसे अभियुक्त की कोई भी संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित मानी जाएगी।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजन के लिए "संपत्ति" से तात्पर्य ऐसी समस्त संपत्ति से है, चाहे वह चल हो या अचल, जो किसी सॉल्वर गिरोह द्वारा इस अध्यादेश की धारा 8, 9 और 11 के अधीन अपराध करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गयी हो या ऐसी संपत्ति जो अपराध से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गयी हो तथा इसमें नकदी भी सम्मिलित होगी, चाहे वह संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर हो या किसी के कब्जे में पायी गयी हो।

संज्ञान और विचारण

17—(1) इस अध्यादेश के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर—जमानतीय और अशमनीय होंगे ।

(2) इस अध्यादेश के अधीन अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से अनिम्न पद के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

जमानत से संबंधित उपबंध

18—इस अध्यादेश की धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि,—

(एक) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(दो) जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है, वहां सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है:

परन्तु यह कि इस अध्यादेश के अधीन यदि सत्र न्यायालय ऐसा निदेश दे,किसी अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति, जो महिला, बीमार या दुर्बल है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

सभी लागतों और व्ययों का भुगतान करने के लिए प्रबंधन आदि का दायित्व

19—(1) यदि कोई व्यक्ति, संस्था, मुद्रणालय, सेवा प्रदाता, जिसने —

(एक) परीक्षा के लिए अनुबंध किया हो या आदेश दिया हो; या

(दो) परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंधन किया हो; या

(तीन) परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन के लिए प्राधिकृत किया हो;

इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित लागत और व्यय का भुगतान करना होगा और भविष्य में ऐसे समनुदेशन के लिए हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

(2) यदि परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल द्वारा प्रश्नपत्र हल किए जाते हैं या किसी भी तरह से सहायता प्रदान की जाती है, तो उक्त केंद्र को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन से विवर्जित कर दिया जाएगा।

लोक सेवक

20—सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगे प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45,सन् 2023) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगाः

परन्तु यह कि जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, सन् 2023) प्रवर्तन में नहीं लाया जाता है, तब तक उक्त अधिनियम के स्थान पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन 1860) की धारा 21 लागू होगी।

निदेश या आदेश जारी करने की शक्ति

21—राज्य सरकार समय—समय पर इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए लिखित रूप में निदेश या आदेश जारी कर सकेगी।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

22—इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या आशयित सार्वजनिक परीक्षा में अंतर्ग्रस्त राज्य सरकार या लोक सेवा में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अपील

23—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) के अध्याय इकतीस के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर लागू होंगेः

परन्तु यह कि जब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, सन् 2023) प्रवर्तन में नहीं लाया जाता है, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) के अध्याय उनतीस के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

24—(1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 के अधीन अनुचित साधनों का प्रयोग करते या उनमें संलिप्त पाए गए परीक्षार्थी के परिणाम की घोषणा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परीक्षार्थी की जांच;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन मंजूरी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने का तरीका; और

(घ) कोई ऐसा विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में इस अध्यादेश के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

अध्यारोही प्रभाव

25—इस अध्यादेश के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

26—(1) यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

27—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1988) एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैः

परन्तु यह कि ऐसा निरसन प्रभावित नहीं करेगा,—

क—इस प्रकार निरसित अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन; या

ख—इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

ग—इस प्रकार निरसित अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या

घ—पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय प्रारम्भ किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसा कोई शास्ति, समपहरण या दंड लगाया जा सकेगा मानो यह अध्यादेश पारित नहीं हुआ थाः

परन्तु यह और कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अध्यधीन, इस प्रकार निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जो कुछ भी किया गया या की गई कोई भी कार्रवाई (जिसमें बनाए गए प्राधिकरण, प्रदत्त शक्तियां, दिए गए आदेश और स्वीकृत क्षतिपूर्ति सम्मिलित हैं) जहां तक वह इस अध्यादेश के किसी भी उपबंध से असंगत नहीं है, इस अध्यादेश के तत्सम्बन्धी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो इस अध्यादेश के उपबंध सभी तात्विक/सम्बद्ध समय पर प्रवृत्त थे ।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 214(2)/LXXIX-V-1–2024-2-ka-9-2024

Dated Lucknow, July 1, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Pareeksha (Anuchit Sadhanon Ka Nivaran) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2024) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 6 OF 2024)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy Fifth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to prevent unfair means, leakage of paper in public examination, proscribe solver gang and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Ordinance, 2024 .

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definition

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires, —

(a) " conduct of public examination" includes preparation, coding, de coding, printing, collecting, safe custody and distribution of question paper, supervision of public examination, evaluation of answer sheet, declaration of result and other matters connected therewith;

(b) "examinee" means a person who has been granted permission by examination authority to appear in a public examination and includes a person authorised to act as scribe on his behalf in public examination;

(c) "examination authority" in relation to public examination includes ,—

(i) Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(ii) Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission ;

(iii) Board, University, Authority or Body under any law for the time being in force ;

(iv) any agency or recruitment committee engaged or constituted by the aforesaid Commission, Board, University, Authority or Body ; and

(v) any other authority, agency or recruitment committee constituted, declared or engaged by the State Government from time to time for conducting public examination;

(d) "examination centre" means premises specified by examination authority to conduct public examination;

(e) "inspection team" means persons authorized by the examination authority to inspect any examination centre and submit report thereof to examination authority;

(f) "person associated with examination authority" means a person who performs services for or on behalf of examination authority irrespective of whether such persons is an employee or an agent or associated with it in any manner whatsoever;

(g) "public examination" includes ,—

(i) any examination either qualifying or competitive for recruitment or regularization or promotion to any post in public service conducted by examination authority ;

(ii) any examination conducted by board, university or body under any law for the time being in force either qualifying or competitive for awarding or granting any degree, diploma, certificate or any other academic distinction or for qualifying for admission into any course of study ; and

(iii) any other examination declared by the State Government by notification to be a public examination;

(h) "public service" means services in any office or establishments of, —

(a) the State Government ;

(b) a local authority ;

(c) a corporation or undertaking wholly owned or controlled by the State Government ;

(d) a body established under any law for the time being in force in Uttar Pradesh, whether incorporated or not, including a University ; and

(e) any other body established by the State Government or a society registered under law relating to the registration of societies for the time being in force, and receiving funds from the State Government either fully or partly for its maintenance, or any educational institution, whether registered or not, but receiving aid from the State Government;

(i) "solver gang" means person or group of persons who individually or collectively in one or more public examinations, —

(i) impersonate himself to be genuine examinee in public examination and appear or attempt to appear in such public examination as genuine examinee; or

(ii) acquire any question paper or a part of it or a copy of it, relating to public examination either physically or by any other means before or during conduct of such public examination , —

(a) to solve or attempt to solve or provide assistance to solve such question paper for providing wrongful gain or assistance to one or more examinees of such public examination ; or

(b) for providing wrongful gain or assistance to one or more examinees of such public examination directly or indirectly in any manner whatsoever which includes means of communication or other modern technology ; or

(iii) involve in any manner whatsoever for providing wrongful gain to examinee;

(j) "supervisory staff" includes persons authorised by examination authority to conduct public examination;

(k) "unfair means" ,—

(i) in relation to an examinee while answering questions in a public examination includes ,—

(a) to take unauthorised help from any person directly or indirectly, or from any material written, recorded, copied, printed or re-produced in any form whatsoever, or the use of any unauthorised telephonic, wireless, electronic, mechanical or other instrument or gadget of whatsoever nature ; or

(b) any mark or impression intentionally inscribed on any part of the body or apparel of the examinee, or furniture, fixture or fitment in examination hall which can be used as an aid during public examination ;

(ii) in relation to any person other than examinee includes ,—

(a) to impersonate or leak or attempt to leak or conspire to leak or procure or attempt to procure or possess or attempt to possess question papers unauthorizedly ; or

(b) to solve or attempt to solve or provide assistance to solve question paper, or directly or indirectly assist any examinee in any manner whatsoever, in any public examination for wrongful gains to the examinee ;

(c) to tamper with computer network or computer resource or a computer system in the public examination for wrongful gain to examinee;

Explanation- For the purposes of sub- clause (c), words "computer network," "computer resource" and "computer system" shall have same meanings as respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Act no. 21 of 2000);

(iii) creation of fake website to cheat or for monetary gain ;

(iv) conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain ;

(v) circulating fake question paper as genuine question paper before the examination with the intention of gaining unfair monetary gain and material benefits.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined under any other law for the time being in force shall have the same meaning as respectively assigned to them in those laws.

Exclusion

3. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance provisions relating to sanction or penalty under this Ordinance shall not apply to those examinee who are appearing in any public examination for acquiring academic, technical, professional or other qualification:

Provided that if such examinee is found to use or in indulgence of unfair means in answering any paper in public examination, answer sheet of concerned paper of such examination shall not be evaluated and result of examination of such examinee shall be declared in the manner prescribed by examination authority.

(2) The provisions of this Ordinance shall not apply to the " public examination" conducted by " public examination authority" as they are respectively defined in clauses (k) and (l) of sub-section (1) of section 2 of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (Act no . 1 of 2024).

Prohibition of use or indulgence in unfair means

4. (1) Use or indulgence of unfair means in or in connection with any public examination or the conduct of public examination shall be prohibited.

(2) Violation of provisions of sub-section (1) by examinee shall be enquired in the manner prescribed by the examination authority concerned :

Provided that examinee shall be given opportunity of being heard in such enquiry.

(3) The examination authority concerned shall specify the sanctioning authority in the manner prescribed for imposing sanctions as envisaged in sub-section (1) of section 13 .

Possession and disclosure of question paper

5. No person lawfully authorised or permitted by virtue of his duties in conduct of public examination , shall before the time fixed for opening and distribution of question paper to examinee at a examination centre ,—

(a) open, leak, procure or attempt to procure, possess or solve question paper or any portion or copy thereof; or

(b) give any information or promise to give information to any person or examinee, for which he has knowledge or reason to believe that such information is related to or derived from or have a bearing upon such question paper.

Prohibition to give information

6. No person , who is entrusted with the work pertaining to public examination or conduct of public examination except where he is permitted so by virtue of his duties, shall by indulging in unfair means directly or indirectly give or attempt to give any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work entrusted to him, to any person for providing wrongful gains to examinee.

Prohibition to enter examination centre

7. No person , who is not entrusted with any work pertaining to public examination and who is not an examinee , shall during the continuance of public examination enter or attempt to enter into examination centre or having entered into such centre remain there to provide any help or assistance to an examinee in using unfair means in the public examination.

Prohibition to assist

8. The following shall, individually or collectively with more than one or all of the following, be prohibited to assist or attempt to assist any examinee in use of or indulgence in unfair means in public examination :-

(i) officer or employee of examination authority ;

(ii) management or staff of the institution specified for conduct of public examination or entrusted with the works pertaining to public examination; and

(iii) solver gang.

Prohibition to influence public examination

9. No person , whether individually or collectively or in collusion with solver gang, shall influence or attempt to influence any public examination, by threat, inducement, allurement, obstruction or use of force to any member of inspection team, supervisory staff, officer or person appointed, entrusted, engaged, associated by examination authority for conduct of public examination, from performing lawful duty or from entering into any examination centre.

No place other than examination centre shall be used for public examination

10. No person shall use or cause to be used any place, other than the examination centre, for the purposes of holding of public examination.

Prohibition against Solver Gang

11. Without prejudice to the provisions of sections 9 and 10 solver gang shall be prohibited to , —

(i) enter into examination centre during or one day prior to public examination ;

(ii) possess, procure or attempt to procure, open or leak question paper or its part or copy thereof before concerned public examination ;

(iii) solve or attempt to solve question paper or any part thereof during or before concerned public examination for providing wrongful gain to examinee ;

(iv) influence or attempt to influence any public examination by threat, inducement, allurement, obstruction or use of force to any member of inspection team, supervisory staff, officer or person appointed, entrusted, engaged or associated by examination authority for conduct of public examination, from performing lawful duty or from entering any examination centre ;

(v) get or attempt to get by force, inducement or allurement any information from any person lawfully authorised or entrusted with the work pertaining to public examination or conduct of public examination, for providing wrongful gain to examinee ;

(vi) act, attempt or abet to involve or indulge in unfair means to provide wrongful gains to examinee ; and

(vii) give any information or promise to give information to any person or examinee, for which he has knowledge or reason to believe that such information is related or derived from or has a bearing upon question paper of public examination, for providing wrongful gains to examinee.

Prevention of manipulation in evaluation

12. No person shall directly or indirectly indulge in or be involved in any manipulation of or attempt to manipulate evaluation of performance of any examinee at a public examination or the record of evaluation thereof where such record is maintained in any manner whatsoever .

Explanation- For the purposes of this section, the expression " record of evaluation " includes answer script, tabulation sheet, marks register, individual marks sheet, result sheet, or copy thereof or any other register or record maintained in this behalf in any manner whatsoever.

Penalty

13. (1) Where any examinee contravenes, or attempts or abets to contravene the provisions of sub-section (1) of section 4 , his result of concerned public examination shall be withheld and he may be debarred from appearing any public examination for a period of one calendar year subsequent to calendar year in which his result is withheld for contravention of provision of sub-section (1) of section 4:

Provided that such order of debar shall not disqualify him to appear in any public examination or public service after the period of debar.

(2) Where any person other than examinee as mentioned in sub - clause (ii) of clause (k) of sub-section (1) of section 2 contravenes the provisions of sub-section (1) of section 4 , he shall be punished with imprisonment of not less than two years but which may extend to ten years and with fine.

(3) Where any person contravenes the provisions of sections 5, 6, 7, 10 or 12 , he shall be liable to be punished with imprisonment of not less than two years but which may extend to ten years and a fine of rupees two lakh which may extend upto rupees five lakh.

(4) Where any person contravenes the provisions of section 8 or 9 , he shall be liable to be punished with imprisonment of not less than three years but which may extend to ten years and a fine of rupees three lakh which may extend upto rupees ten lakh.

(5) Where a solver gang contravenes the provisions of sections 8, 9 or 11 , he shall be liable to be punished with imprisonment of not less than seven years but which may extend to fourteen years and fine of rupees ten lakh which may extend upto rupees twenty - five lakh :

Provided that if a solver gang repeats such offence, he shall be liable to be punished with a sentence of imprisonment for life and a minimum fine of fifty lakhs which may extend up to one crore rupees.

(6) Where any person, whether in connivance with solver gang or not, for monetary or wrongful gains, by causing threat to life or wrongful restraint of a person associated with the examination authority obstructs or influences the fair conduct of public examination he shall be liable for punishment of imprisonment for life and minimum fine of rupees fifty lakhs which may extend up to one crore.

Punishment for neglect of duties

14. Whoever , being entrusted with any work or performance of any duty pertaining to a public examination, wilfully neglects any work or duty which is required to be performed by him and which may result in the question paper being leaked before the public examination or the conduct of the public examination to be prejudiced, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend upto seven years and with fine.

Offences by companies

15. (1) Where an offence against any of the provisions of this Ordinance or any rule made thereunder has been committed by a company, every person, who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation:-For the purpose of this section, —

(a) 'Company' means any body corporate and includes a firm, a society or other association of individuals; and

(b) ' Director' in relation to,-

(i) a firm means a partner in the firm;

(ii) "a society or other association of individuals" means the person who is entrusted, under the rules of the society or other association, with management of the affairs of the society or other association, as the case may be.

Attachment and confiscation of property

16. (1) No person operating as a member of solver gang, singularly or in group, who is accused of an offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance shall hold or be in possession of any property which is acquired by committing an offence under aforesaid sections.

(2) If the District Magistrate has reason to believe that the property, whether movable or immovable, in possession of any person has been acquired as a result of the commission of an offence as mentioned in sub-section (1), he may order attachment of such property, whether or not cognizance of such offence has been taken by the Court.

(3) The procedure provided for attachment in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) shall apply to every such attachment :

Provided that until the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) is brought into force, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) shall be applicable in place of the said Act.

(4) The District Magistrate may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (2) and the Administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.

(5) The District Magistrate may provide police help to the Administrator for proper and effective administration of such property.

(6) Where any property is attached under sub-section (2), the claimant thereof may, within three months from the date of knowledge of such attachment, make a representation to the District Magistrate showing the circumstances in and the sources by which such property was acquired by him.

(7) If the District Magistrate is satisfied about the genuineness of the claim made under sub-section (6), he shall forthwith release the property from attachment and thereupon such property shall be delivered to the claimant.

(8) Where no representation is made within the period specified in sub-section (6) or the property is not released by District Magistrate under sub-section (7), the District Magistrate shall refer the matter with his report to the Court competent to try an offence under the Ordinance .

(9) Where the District Magistrate has refused to attach any property under sub - section (2) or has ordered for release of any property under sub-section (7), the State Government or any person aggrieved by such refusal or release may make an application to the competent Court as referred under sub-section (8) for inquiry as to whether the property was acquired by or as a result of the commission of an offence by a member of solver gang, singularly or in group, who is accused of an offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance. The Court may, if it considers it necessary or expedient in the interest of justice so to do, pass an order confirming or setting aside the order of the District Magistrate.

(10) On the receipt of reference under sub-section (8) or an application under sub-section (9), the Court competent to try an offence under the Ordinance shall fix a date for inquiry and give notice thereof to the person making the application under sub-section (9) or, as the case may be, to the person making the representation under sub-section (6) and to the State Government, and also to any other person whose interest appears to be involved in the case.

(11) On the date so fixed or any subsequent date to which the inquiry may be adjourned, the Court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence as it considers necessary, and decide whether the property was acquired as a result of the commission of an offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance by a solver gang and pass such order as may be just and necessary in the circumstances of the case.

(12) In any proceedings under this section, the burden of proving that the property in question or any part thereof was not acquired by a person as the result of the commission of an offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance by a solver gang, shall be on the person claiming the property.

(13) If upon such inquiry, the Court finds that the property was not acquired by a solver gang as a result of the commission of any offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance, it shall order for release of the property in favor of the person from whose possession it was attached.

(14) Where the accused is convicted of any of the offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance, the Court, in addition to awarding any sentence, by order in writing, declare that any property belonging to such accused shall be deemed to vest in the State free from all encumbrances.

Explanation:- For the purpose of this section "property" means all property, whether movable or immovable, derived or obtained from the commission of an offence under sections 8, 9 and 11 of this Ordinance by a solver gang or property which has been acquired by means of funds relating to crime and shall also include cash, irrespective of the person in whose name such property stands or in whose possession it is found.

Cognizance and Trial

17. (1) The offences punishable under this Ordinance shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable .

(2) The offences under this Ordinance shall be investigated by a police officer not below the rank of the Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police.

Provisions regarding bail

18. No person accused of an offence under sub-section (5) of section 13 of this Ordinance shall be released on bail unless,—

(i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application for such release; and

(ii) where the Public Prosecutor opposes the bail application, the Court of Sessions is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail:

Provided that a person accused of an offence under this Ordinance who is a woman, sick or infirm, may be released on bail if the Court of Sessions so directs.

Liability of Management *etc*. to pay all costs and expenses

19. (1) If any person, institution, printing press, service provider contracted or ordered for ,—

(i) examination; or

(ii) management for conducting examination; or

(iii) authorized to keep or transport the examination material;

is found guilty of an offence under this Ordinance, they shall be liable to pay costs and expenses as determined by the competent Court and shall be barred forever for such assignment in future.

(2) If question papers are solved or assistance is provided in any way by mass copying in the examination centre , then the said centre shall be debarred from conducting any public examination.

Public Servant

20. Every person engaged in the conduct of public examination shall be deemed to be a public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023):

Provided that until the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023) is brought into force, section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860) shall be applicable in place of the said Act.

Power to issue directions or order

21. The State Government may, from time to time, issue directions or order in writing, for giving effect to the provisions of this Ordinance.

Protection of action taken in good faith

22. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any person in public service involved in public examination which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance or the rules made thereunder.

Appeal

23. The provisions of Chapter XXXI of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) shall, *mutatis mutandis*, apply to an appeal against any judgment or order passed by a competent Court under the provisions of this Ordinance:

Provided that until the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023) is brought into force, provisions of Chapter XXIX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) shall be applicable in place of the said Act.

Power to make rules

24. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules not inconsistent with the provisions of this Ordinance, for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) declaration of result of examinee found to use or in indulgence of unfair means under section 3;

(b) enquiry of examinee under sub-section (2) of section 4;

(c) manner of specifying sanctioning authority under sub-section (3) of section 4 ; and

(d) any matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be made by rules under this Ordinance.

Overriding effect

25. The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force.

Power to remove difficulties

26. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, within a period of two years from the date of commencement of this Ordinance, by an order published in the *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for removal of such difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid , as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23 - A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) shall apply.

Repeal and savings

27. The Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 1998 (U.P. Act no. 13 of 1988) is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect ,—

a. the previous operation of the Act so repealed ; or

b. any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act so repealed ; or

c. any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any of the provisions of the Act so repealed; or

d. any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Ordinance had not been passed:

Provided further that, subject to the preceding proviso, anything done or any action taken (including authorizations made, powers conferred, orders given and indemnity granted) by or under the Act so repealed shall, in so far it is not inconsistent with any provisions of this Ordinance, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 99 राजपत्र–2024–(308)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 विधायी–2024–(309)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

99 RP (Public Examination unfair 2024) data 4e